


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 13, 2016/पौष 23, 1937

No. 96]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 13, 2016/ PAUSA 23, 1937

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

का.आ. 110(ब).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जनवरी, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं. सीडब्ल्यू- II/11/4/2015-सीडब्ल्यू.II]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2016

S.O. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 2016 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. CW-II-11/4/2015-CW.II]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.